न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 8/20 सन् 2020

GCMS NO-2020/00063

बउनवानीः–भैरू पुत्र शंकर खटीक निवासी ग्राम डिडायच, तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 09 निर्णय दिनांक 19.05.2004 वाके ग्राम धोली, तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री श्रीदास सिंह वकील अपीलान्ट

2. श्री तोफीक मोहम्मद पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 10.11.2021

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 09 निर्णय दिनांक 19.5.2004 वाके ग्राम धोली तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिये जाने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस नही दिया है समस्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुपचुप तरीके से की गयी है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट भूमिहीन होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.2.1979 को आराजी ख0न0 139 रकबा 10 बीघा ग्राम धोली का आवंटन मजमे आम मे अपीलान्ट को किया गया था जिसका नवीन चकबन्दी में ख0न0 189 रकबा 2.53 है0 बना है। उक्त आवंटित आराजी ख0न0 139 रकबा 10 बीघा ग्राम अपीलार्थी को दिनांक 24.2.1979 को ही हल्का पटवारी व गिरदावर ने साक्षीगण के सामने आराजी का कब्जा सुपुर्द किया था। तथा आवंटन से लेकर अब तक यथा सम्वत् 2051–54 में गेंहूँ, 2056–57 बाजरा, ग्वार, की फसल अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर काश्त की गयी है, तथा गत वर्ष भी अपीलान्ट ने उक्त आराजी पर सरसों की फसल काश्त की गयी थी। कुछ वर्षो में अकाल पड गया था जिसके कारण सभी काश्तकार फसल नही कर पाये थे इसलिए उन वर्षो में अपीलार्थी भी फसल नही कर पाया था। यह तर्क भी दिया कि 19.5.2004 से पूर्व के आवंटन को रद्द नही किया है तो तीन वर्षो से खेती करने पर खातेदारी दिया जाना [illegible] है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान [illegible] हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार मानकर यह विवादित आदेश प्रदान [illegible] है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम 10.7.2020 को पटवारी हल्का के बताये जाने पर प्राप्त होने व दिनांक 15.7.2020 को नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गयी है। इसलिए अपीलान्ट अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:53:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट भूमिहीन होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.2.1979 को आराजी ख0न0 139 रकबा 10 बीघा ग्राम धोली का आवंटन मजमे आम मे किया गया था किन्तु अपीलान्ट का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही होने के कारण उसके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने के कारण उक्त आराजी का भरा गया गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 09 दिनांक 19.5.2004 को खारिज किया गया है। यह तर्क भी दिया स्वंय अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नही होने बाबत कथन किया है तथा सम्वत् 2036 से 2050 तक उक्त आराजी पर कब्जा काश्त से संबंधित कोई दस्तावेज भी पेश नही किये जाने के कारण अपीलान्ट का उक्त आराजी पर आवंटन से लेकर अब तक लगातार कब्जा काश्त नही होना साबित नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि आवंटित भूमि ख0न0 139 रकबा 10 बीघा पर अपीलान्ट का कब्जा नही होने की रिपोर्ट गिरदावर द्वारा की जाने पर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 09) खारिज किया गया है किन्तु हल्का गिरदावर द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह नही बताया कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब से कब्जा काश्त नही था, जबकि वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2051 से 2057 के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर गेंहूँ, बाजरा, ग्वार की फसल तथा सम्वत् 2065 मे सरसों, तथा सम्वत् 2070 से 2073 मे सरसों की फसल काश्त हुई है। उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात से अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। इसलिए तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 9 दिनांक 19.5.2004 को कब्जा नही होने के आधार पर खारिज किया जाना न्याय संगत नही है। ऐसी स्थिति में कब्जा काश्त होने के संबंध में अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट का साबिक ख0न0 139 (हाल ख0न0 189) की भूमि पर कब्जा काश्त होने संबंधी तथ्यों की जॉचकर एवं अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील कार्यालय में जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:33:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर